



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25122025-268794
CG-DL-E-25122025-268794

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5789]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2025/पौष 3, 1947

No. 5789]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025/PAUSHA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5988(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 4389 (अ), तारीख 26 सितम्बर, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड(II), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 29 के 30+000 किमी० से 88+400 किमी. तक के भूखण्ड (वाराणसी - गाजीपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (3) के अधीन तारीख 09 अक्टूबर, 2025 को " हिन्दुस्तान जागरण" और " इंडियन एक्सप्रेस " में प्रकाशित किया गया था ;

और जबकि सक्षम प्राधिकारी को कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के किमी० 30+000 से किमी० 88+400 तक (वाराणसी-गाजीपुर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित अतिरिक्त भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: गाजीपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सैदपुर					
गांव का नाम: देवकली					
1	756	निजी (निजी)	कृषि	0.127	श्री राजेन्द्र व श्री महेन्द्र पुत्रगण हनुमान नि०ग्राम-देवकली
2	760	निजी (निजी)	कृषि	0.1978	श्री राजेन्द्र व श्री महेन्द्र पुत्रगण हनुमान नि०ग्राम-देवकली
3	795	निजी (निजी)	कृषि	0.0308	श्री राजेन्द्र व श्री महेन्द्र पुत्रगण हनुमान नि०ग्राम-देवकली
4	796	निजी (प्राइवेट)	कृषि	0.0414	श्री राजेन्द्र व श्री महेन्द्र पुत्रगण हनुमान नि०ग्राम-देवकली
5	797	निजी (निजी)	कृषि	0.0735	श्री राजेन्द्र व श्री महेन्द्र पुत्रगण हनुमान नि०ग्राम-देवकली
Total				0.4705	

[फा. सं. NHAI/11013/2014-LA-NH-29/Notif./PIU-Varanasi/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2025

S.O. 5988(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 4389 (E), dated the 26th September, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 29 on the stretch of land from Km. 30+000 to Km. 88+400 (Varanasi – Gazipur Section) in District Gazipur in the State of Uttar Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan Jagaran” and “The Indian Express”, both dated the 09th October 2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been not received the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the additional land to be acquired with or without structure failing within the stretch of land from Km 30.000 to km 88.400 (Varanasi-Gazipur Section) of the National Highway No. 29 in the Gazipur District, state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: GHAZIPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Saidpur					
Village: Devkali					
1	756	Private	Agriculture	0.127	Sri Rajendra & Sri Mahendra S/o Hanuman R/o Devkali
2	760	Private	Agriculture	0.1978	Sri Rajendra & Sri Mahendra S/o Hanuman R/o Devkali
3	795	Private	Agriculture	0.0308	Sri Rajendra & Sri Mahendra S/o Hanuman R/o Devkali
4	796	Private	Agriculture	0.0414	Sri Rajendra & Sri Mahendra S/o Hanuman R/o Devkali
5	797	Private	Agriculture	0.0735	Sri Rajendra & Sri Mahendra S/o Hanuman R/o Devkali
Total				0.4705	

[F. No. NHAI/11013/2014-LA-NH-29/Notif./PIU-Varanasi/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director